न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 13/2016

विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन (अजमेर) जरिये श्री गौतमराम चौधरी विकास अधिकारी

......निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

1– श्री अकरम अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी ग्राम पीसांगन, ग्राम पंचायत पीसांगन, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर

2– श्री सत्यनारायण कुमावत पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पीसांगन, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर

3– श्री अब्बास अली तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत पीसांगन, हाल पदस्थापित पंचायत समिति भिनाय (अजमेर)

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–

1. श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक – 24.10.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा ग्राम पीसांगन की सुभाष शाला के पूर्व दिशा की ओर स्थित आबादी भूमि में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14.10.2009 को पारित प्रस्ताव संख्या 13 की अनुपालना में खाली पड़े भूखण्डों की दुकानों हेतु नीलामी खुली बोली के माध्यम से करवाये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिये जाने के पश्चात नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर सर्वाधिक बोलीदाता श्री अकरम अली पुत्र श्री असगर अली निवासी ग्राम पीसांगन के पक्ष में संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.12.2009 के अनुसरण में दिनांक 07.12.2009 को बुक संख्या 33 आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 21 क्षेत्रफल 10'X10' = 100 वर्गफीट अर्थात 11.11 वर्गगज भूखण्ड दुकान नंबर 8 इसी प्रकार बुक संख्या 33 आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 22 क्षेत्रफल 10'X10' = 100 वर्गफीट अर्थात 11.11 वर्गगज भूखण्ड दुकान नंबर 9 हेतु जारी किया गया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 07.12.2009 को जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 21 एवं पट्टा संख्या 22 को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त पट्टों को निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित हुए तथा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जवाब नोटिस पेश किये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु निश्चित दिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अनुपस्थित रहने के कारण वकील निगरानीकार व वकील अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने निगरानी याचिका में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 गत वर्षों में क्रमशः सरपंच एवं ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित थे। अप्रार्थी संख्या 2 ने पंचायत अधिनियम के विरूद्ध अपने परिचित अप्रार्थी संख्या 1 को तहसील कार्यालय के सामने सिवायचक भूमि पर अवैध बेचान कर आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि तेजाजी स्थल, पटवारी स्थल, शाला सुविधा स्थल, शाला भवन स्थल एवं सार्वजनिक स्थलों के लिये आरक्षित भूमि थी, जिनका विधि विरूद्ध तरीके से विक्रय किये जाने से ग्रामवासियों में भारी रोष हो जाने के कारण शिकायत प्राप्त होने पर जिला परिषद अजमेर द्वारा जांच के आधार पर अपने पत्र क्रमांक/जिला पं.अ./पंचायत/जांच/10/1897 दिनांक 27.09.2010 द्वारा आक्षेपीय पट्टों को निरस्त करवाने की कार्यवाही हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। वकील निगरानीकार ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा आक्षेपीय भूखण्ड का विक्रय करने से पूर्व विवादित भूमि के प्रमाण स्वरूप नियमानुसार पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा न ही संधारित पत्रावली में भूखण्ड विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की नाप व नक्शा प्रस्तुत किया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा दुकानें/भूखण्ड विक्रय हेतु प्रचार प्रसार के लिये जारी की गई आम सूचना नोटिस की मात्र प्रति तैयार कर औपचारिकता मात्र के लिये पत्रावली में लगाया गया है, नोटिस पर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किये जाने वाले स्थल एवं गवाह का उल्लेख नहीं किया गया है एवं विक्रय तिथि एवं समय की जानकारी किये जाने के लिये स्थानीय दैनिक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर पंजाब केसरी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया है जबकि उक्त समाचार पत्र स्थानीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं है। वकील निगरानीकार ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूखण्ड विक्रय हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार समिति का गठन किया गया किन्तु भूखण्ड विक्रय के समय उक्त कमेटी को नीलामी स्थल की सूचना देकर आमंत्रित ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों न्यूनतम मूल्य 10,000/- रूपये है, उक्त राशि का अनुमोदन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 154 सबक्लॉज 1 व 2 के अन्तर्गत पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये बिना ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनाधिकृत रूप से विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है, इसी के साथ ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपीय भूखण्डों का विक्रय डी0एल0सी0 दर से कम राशि में ही कर दिया गया है। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आक्षेपीय भूखण्ड राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खाता संख्या नया 1426 पुराना 1425 खसरा नंबर 2850 रकबा 20 बिस्वा, खसरा नंबर 2855/16085 रकबा 20 बिस्वा कुल 2 बीघा भूमि मन्दिर श्री तेजाजी महाराज साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अनाधिकृत रूप से आक्षेपीय भूखण्डों का विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंचायती राज अधिनियमों के विपरीत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है जिससे समाज के व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा किये गये

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उक्त कृत्य के विरूद्ध पुलिस थाना पीसांगन में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। अन्त में उन्होने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 21 व 22 निरस्त किये जावें।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि निगरानी याचिका में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। उनका कथन है कि आक्षेपीय पट्टा वर्ष 2009 में जारी किया गया था जिसे निगरानी याचिका के माध्यम से वर्ष 2016 में चुनौती दी गई है तथा प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत पीसांगन को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया आक्षेपीय पट्टा दिनांक 14.10.2009 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 13 की अनुपालना में जारी किया गया है। निगरानीकार का दायित्व था कि वे पट्टा निरस्त करवाने से पूर्व प्रस्ताव संख्या 13 को निगरानी के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिये थी, बिना उक्त प्रस्ताव को निरस्त करवाये आक्षेपीय पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 552 पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्ताव संख्या 13 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके अभाव में निगरानी पोषणीय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान लार्जर बैंच द्वारा दिनांक 23.04.1980 को भैरूलाल बनाम दानमल में पारित निर्णय की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि जिला परिषद अजमेर द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट एक पक्षीय, पक्षपातपूर्ण, अविधिक एवं गैर कानूनी है जिसे आधार मानकर निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। वास्तविकता तो यह है कि ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14.10.2009 के प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार खाकी दरवाजे के बाहर सुभाष उच्च विद्यालय के दक्षिण व पूर्व दिशा की तरफ पंचायत की कुछ खाली भूमि है जिस पर दिनभर ताश पत्ती, चौपड़ आदि खेलने वालों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त भूमि को अगर पंचायत ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा बनवाकर नियमानुसार दुकानों की भूमि नीलामी बोली के माध्यम से बेचती है तो इससे एक ओर तो पंचायत की आय बढेगी तथा अतिक्रमण भी नहीं हो सकेगा। निगरानीकार का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि सिवायचक है जबकि पंचायत अधिनियम के नियम 136 के अनुसार पंचायत सर्कल में स्थित समस्त सिवायचक भूमि जो आबादी में है की मालिक पंचायत ही है जिसे नीलाम करने एवं पट्टे जारी करने के अधिकार विधि प्रदत्त है। वकील निगरानीकार का यह कथन गलत है कि नियमानुसार पटवारी की रिपोर्ट नहीं प्राप्त की तथा न ही संधारित पत्रावली में भूखण्ड विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की नाप व नक्शा प्रस्तुत किया गया, जबकि पंचायत द्वारा बनाये गये नक्शे के अनुसार ही भूखण्ड विधिवत नीलाम किये गये एवं भूखण्ड क्रयकर्ता को कब्जा सौंपा गया तथा क्रेता को नक्शे के अनुरूप नाप चौप एवं सीमांकन से संतुष्ट किया गया, किसी भी व्यक्ति द्वारा आज तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। उन्होने आगे कथन किया कि पंचायत द्वारा भूखण्ड नीलामी से पूर्व विधिवत आम सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पंचायत

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के नोटिस बोर्ड पर जो नीलामी की सूचना चस्पा की गई, उस पर पंचायत कमेटी के समस्त सदस्यों, वार्ड पंचों एवं समस्त ग्रामवासियों को जानकारी रही है। जहां तक पंजाब केसरी में सूचना प्रकाशित करवाने का प्रश्न है, उक्त समाचार पत्र एक आम अखबार होने के साथ ही लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र है तथा सामान्य तौर पर आमजन का पसंदीदा समाचार पत्र है। निगरानीकार का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा गठित समिति को नीलामी स्थल की सूचना देकर आमंत्रित नहीं किया जबकि कमेटी के समस्त सदस्य नीलामी स्थल की सूचना से पूर्णतया अवगत थे। यहां तक कि नीलामी की सूचि पर भी सभी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज 1996 के प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बहुमूल्य राशि के प्रतिफल की एवज में आक्षेपीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, न्यायहित में तकनीकी आधार पर भूखण्ड क्रयकर्ता को दण्डित नहीं किया जा सकता, इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा भूखण्ड की जो राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की गई थी, उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा विधिवत रूप से तत्काल राजकोष में जमा करवा दी गई जिससे राज्य सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई। ऑडिट जांच रिपोर्ट दिनांक 01.04.2008 से 21.03.2010 के अनुसार भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा किसी भी प्रकार की राशि के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं पाई गई बल्कि नीलामी कर पट्टे जो जारी किये गये, जिन्हे जारी करने का अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पूर्ण अधिकार था। यहां तक कि स्वयं निगरानीकार द्वारा कोई अनियमितता नहीं पाया जाना दर्शाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपीय भूखण्ड की नीलामी डी0एल0सी0 दर से अधिक राशि से की गई है। इस संदर्भ में अंकेक्षण दल द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर नीलामी की राशि सही होना अंकित किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी 2 व 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अनियमित लाभ नहीं पहुंचाया गया है एव ना ही पद का दुरूपयोग किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधिवत है जो सार्वजनिक नीलामी में ग्रामवासियों की मौजूदगी में भूखण्ड विक्रय किये गये है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्राविधित प्रावधानों के अन्तर्गत आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी याचिका मय खर्चे के निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड की आराजी राजस्व रेकॉर्ड में आबादी भूमि दर्ज न होकर जमाबन्दी के खाता संख्या 1426 नया पुराना 1425 मन्दिर श्री तेजाजी महाराज साकिन देह खातेदार, खसरा नंबर 2850 रकबा 20 बिस्वा भूमि श्री तेजाजी महाराज के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भी आराजी पर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का यह कथन गलत है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम के नियम 136 के अनुसार पंचायत सर्कल में स्थित समस्त सिवायचक भूमि जो आबादी में है, की मालिक पंचायत ही है, नीलामी करने एवं पट्टे जारी करने के अधिकार विधिप्रदत्त हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी का यह कथन कि निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बाहर प्रस्तुत किया गया है, इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत करने बाबत मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टे निरस्त किये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 24.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner